प्रेस नोट दिनांक- 29.11.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

♦ थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा 01 टाटा इन्ट्रा पिकअप से क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 06 राशि गोवंशीय पशु बरामद करते हुए 01 शातिर गौ-तस्कर को किया गिरफ्तार।

चन्दौली- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशो की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार के कुशल नेतृत्व में चकिया पुलिस टीम द्वारा 01 टाटा इन्ट्रा पिकअप से क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 06 राशि गोवंशीय पशु बरामद करते हुए 01 शातिर गौ-तस्कर को जलेबिया मोड वहदग्राम कुंडा हेमैया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 219/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण– पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा बताया कि वह और उसके 02 अन्य साथी के साथ मिलकर लालगंज मिर्जापुर से गोवंशो को खरीदकर उन्हे पिकअप पर लादकर नौगढ़ जंगल के रास्ते जलेबिया मोड़ होते हुए बिहार ले जाते है , बिहार मे जानवरो का मेला लगता है । जहां से गोवंशो को बड़ी गाड़ियो में लादकर पश्चिम बंगाल मे पण्डुआ भेजा जाता है हम लोग गोवंशो को बेचकर व गोवध हेतु गोतस्करी कराकर काफी अच्छा पैसा कमाते है व इस काम मे जो भी पैसा मिलता है उसे हम बराबर बराबर भांगो मे बाँट लेते है।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.11.2024 को वह और उसके साथी 07 राशि गोवंशो को लेकर मिर्जापुर की तरफ से आ रहे थे कि विजड़ार के पास पुलिस द्वारा घेराबन्दी की गयी थी तो हम लोग गाड़ी छोड़कर भाग गये।

➡ दिनांक 22.11.2024 को भी सिकन्दरपुर के पास टाटा योद्धा गाड़ी से 08 राशि गोवंश लेकर आ रहे थे कि पुलिस द्वारा हमारी गाड़ी को रोके जाने पर बिजली के खम्भे से टकरा गयी थी गाड़ी टकराने के बाद हम लोग गाड़ी छोड़कर भाग गये थे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1.अजय गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता निवासी ग्राम मैनपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 008/2019 धारा 3/5ए/8 गो. नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना इलिया जनपद चन्दौली।

2.मु.अ.सं. 58/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो. नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना इलिया जनपद चन्दौली।

3.मु.अ.सं. 207/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. व 318(4)/319(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

4.मु.अ.सं. 214/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. व 281/324(4)/325 बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

1. 06 राशि गोवंश
2. 01 पिकअप टाटा इंट्रा (V50 संख्या UP65LT8548)
3. 01 मोबाइल कम्पनी वीवो बरंग काला

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 परमानन्द त्रिपाठी थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

3.उ0नि0 हरेन्द्र यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

4.हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

5.हे0का0 दीपचन्द्र गिरि थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

6.का0 प्रभात यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।

7.का0 राकेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।